



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57013

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2451/2026

वीरेन्द्र कुमार हरिजन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पवन गिरी

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन गिरी, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राम सिंह कुशवाहा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर सरन को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र परिवाद वाद संख्या 104/2021, धारा 392, 323, 504, 506 आई.पी.सी., थाना झुंसी, जिला प्रयागराज में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदक को एक परिवाद वाद में विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। यह भी तर्क दिया गया है कि परिवाद में लगाए गए संपूर्ण आरोप झूठे हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने विचारण में सहयोग नहीं किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा परिवादी, जो आई.टी.आई. कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, के साथ मारपीट करने की बात कही गई है और उन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे 15,000/- रुपये नकद भी लूटे हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक ने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर कर इस न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी, जिसे आवेदक को सतिंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित जमानत के लिए संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष जाने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था।

5. उत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून में उपलब्ध उपचार को किसी भी न्यायिक आदेश द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।
7. आवेदक को एक परिवाद वाद में विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। परिवाद के आरोपों के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा परिवादी, जो आई.टी.आई. कॉलेज के प्रधानाचार्य है, के साथ मारपीट करने की बात कही गई है और उन्होंने बंदूक की नोक पर उनसे 15,000/- रुपये नकद भी लूटे हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
9. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
10. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
11. उपरोक्त मामले में संलिप्त आवेदक- वीरेन्द्र कुमार हरिजन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
12. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

आर.के.एम.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"